राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– **5436** जयपुर दिनांक :– **26.05.2020**

आदेश

कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान संक्रमण से बचने के लिये विभाग स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को यदि पद समाप्ति अथवा अन्यथा अपरिहार्य परिस्थिति में पूर्वानुमति से आदेशों की प्रतीक्षा (A.P.O.) में निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग के लिये कार्यमुक्त किया जाता है तो उक्त प्रकार कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी आदेशों की प्रतीक्षा में अपने पदस्थापन जिले में स्थित कोषालय में तुरन्त अपनी उपस्थिति देंगे।

संबंधित कोषाधिकारी द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने वाले ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सूचना उसी दिन निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक – (कार्मिक– I/II/III) को दूरभाष पर देते हुये संबंधित अधिकारी की ई–मेल आई.डी. पर पूरा प्रकरण प्रेषित करेंगे तथा निदेशालय से निरन्तर सम्पर्क में रहकर संबंधित एपीओ कार्मिक का नियमित पदस्थापन आगामी तीन दिवस की अवधि में करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति उत्पन्न न हों।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– **5436** जयपुर दिनांक :– **26.05.2020**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक – (कार्मिक – I/II/III) निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर।
3. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण।

निदेशक